*सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच एकीकरण**

आर. गांधी

भारत में मौजूदा बैंकिंग प्रणाली कई प्रकार के बैंकों के समावेश से विकसित हो रही है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, प्रणाली में कुछ नए बैंकों का प्रवेश हुआ और नए प्रकार के बैंकों का भी प्रादुर्भाव हुआ जिनका लक्ष्य समाज के कुछ विशिष्ट संवर्ग को सेवा प्रदान करना है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का आधिपत्य बना हुआ है,जिनके पास बैंकिंग प्रणाली की मौजूदा आस्तियों में 70 प्रतिशत से अधिक की बाजार हिस्सेदारी है। वर्तमान में विभिन्न आकार के 27 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है जिसका तुलन-पत्र सबसे छोटे सरकारी क्षेत्र के बैंक के आकार के लगभग 17 गुना बड़ा है। अधिकतर पीएसबी छोटे व्यापारिक मॉडल का उपयोग करते हैं और उनमें से बहुत से बैंक, अपनी सक्रियता वाले बाजार के अधिकतर हिस्से में, एक दूसरे से भी प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इसके अतिरिक्त, पीएसबी में लगभग एक समान ही संगठनात्मक ढांचा और मानव संसाधन नीतियां हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भारत में बहुत अधिक पीएसबी हैं जिनकी एक समान विशेषताएं हैं और पीएसबी के बीच एकीकरण से आकार और संभाव्यता की स्तरीय अर्थव्यवस्था संबंधी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. पीएसबी के बीच एकीकरण के सुझाव का काफी पुराना इतिहास रहा है। 1991 में नरसिम्हन समिति (एनसी-1) की रिपोर्ट में, अंतर-राष्ट्रीय मौजूदगी के साथ तीन बड़े बैंकों, आठ से दस राष्ट्रीय बैंकों और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की स्थापना के माध्यम से भारत में एक त्रिस्तरीय बैंकिंग ढाँचे की सिफारिश की गई थी।1998 में आई नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट(एनसी-2) में भी एनसी-1 में की गई सिफारिशों को दोहराया गया था। हाल ही में वर्ष 2016-17 के लिए दिए गए बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह उल्लेख किया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के लिए एक दिशानिर्देश बनाया जाए। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एकीकरण की अपेक्षाएं सभी संवर्गों में काफी शिद्दत से महसूस की जा रही हैं।

मौजूदा अनिवार्यताएं

मौजूदा समय में कई अनुकूल कारक मौजूद हैं जो यह संकेत देते हैं कि भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में एकीकरण का यह उचित समय है। ये कारक इस प्रकार हैं:-

4. इस विशेष एकीकरण की आवश्यकता समझी जा रही है क्योंकि तथ्य यह है कि सांकेतिक जीडीपी के संदर्भ में भारत यद्यपि, विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथापि, आस्ति आकार के संदर्भ में कोई भी भारतीय बैंक 70 बड़े बैंकों की सूची में नहीं है। बड़ी आसानी से हम यह देख सकते हैं कि बड़े बैंक, विशाल परियोजनाओं को वित्तपोषण करने की क्षमता, जोखिम के विविधीकरण और कार्यकुशलता के संदर्भ में कुछ लाभ उठा ले जाते हैं। सेवाओं की कम लागत और उच्चतर गुणवत्तायुक्त सेवाएं से मिलने वाला कुशलता लाभ इतना आकर्षक है कि इसे नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

5. यह भी महसूस किया जा रहा कि एक बड़ा बैंक किसी छोटे बैंक की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि किसी बड़े बैंक का पोर्टफोलिओ कहीं अधिक विविधतापूर्ण होगा और उसकी कमाई में कम उतार-चढ़ाव होगा। इसके परिणामस्वरूप, किसी एक बड़े बैंक की क्रेडिट रेटिंग किसी छोटे बैंक की तुलना में कहीं उच्चतर हो सकती है। मार्च 2016 की अपनी एक रिपोर्ट में फिच रेटिंग एजेंसी ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:- 'अधिक स्थिर बैंकिंग प्रणालियों का ढांचा बैंकिंग समूह के 'बड़े' खंबों की संख्या के इर्द-गिर्द खड़ा रहता है। समेकित बैंकिंग प्रणाली में ये बड़े बैंक अपने आकार के कारण बहुत से लाभ कमाते हैं जिससे जोखिमों का बेहतर विविधीकरण होता है और समग्र लाभप्रदता में सुधार आता है जो उच्चतर क्रेडिट रेटिंग में योगदान देती है।'

6. जोखिम विविधीकरण के संदर्भ में बड़े बैंकों को निश्चित रूप से आकार की अर्थव्यवस्था से फायदा मिलता है, हालांकि ये लाभ तब समाप्त हो जाता है जब बैंक एक निश्चित आकार से कहीं अधिक बड़े हो जाएं। वित्त के क्षेत्र में आकार की यह सीमा एक चर्चा की विषय-वस्तु है। तथापि, इस प्रकार का कोई शोध-पत्र नहीं है जो कि

---

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 अप्रैल, 2016 को मिंट साउथ बैंकिंग एन्क्लेव, बेंगलूर में दिया गया भाषण। इसमें श्री संतोष पाण्डेय द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार।

किसी देश विशिष्ट में बैंक के इष्टतम आकार के बारे में संकेत करता हो। संभावना है कि भविष्य में बैंकों के इष्टतम आकार के संबंध में किया गया अनुसंधान किसी प्रकार का प्रकाश डाले। तथापि, भारत के संबंध में यह महसूस किया जा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच,एकीकरण की काफी गुंजाइश है, इससे कोई नैतिक संकट या अति विशालता की असफलता हाथ लगे जैसा कोई मुद्दा भी नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि यह अवश्य प्रतीत हो रहा है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली अभी अत्यधिक विखंडित अवस्था में है। साक्ष्य नज़र आते हैं कि,भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए हरफिन्डहल हर्शमैन सूचकांक (एचएचआई) जिसमें, प्रणाली में मौजूद सभी बैंकों के तुलन-पत्र पर मौजूद बाज़ार भागीदारी के वर्ग का उपयोग किया गया है,से नापने पर यह 518.53 बैठता है। यह संकेत करता है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली अत्यधिक विखंडित और बिखरी हुई है। वस्तुतः इस बात के भी साक्ष्य हैं कि भारत में इस सूचकांक में कुछ वर्षों में गिरावट आ रही है।

7. हमारे यहां 48 घरेलू बैंक हैं (आआरबी और एलएबी को छोड़कर) जिसमें से 27 पीएसबी हैं जिनके पास आस्ति आकार के संदर्भ मेंलगभग 70 प्रतिशत की बाज़ार हिस्सेदारी है। बड़े पीएसबी और छोटे पीएसबी के निष्पादन की तुलना करने पर यह संकेत मिलता है कि बड़े पीएसबी बेहतर निष्पादन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,सभी पीएसबी के बीच भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े पीएसबी तुलनात्मक रूप से अन्य छोटे पीएसबी के बही मूल्य के अनुपात में उच्चतर भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक संगत रूप से मजबूत पूंजी अनुपात बनाए रखने में सक्षम है और आस्ति-गुणवत्ता के आघातों का सामना करने में कहीं बेहतर स्थिति में है। यह दर्शाता है कि भारतीय परिस्थितियों में बैंकों के लिए इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे आकार में बढ़ सकें ताकि वे अधिक कार्यक्षम बन सकें और अपने जोखिमों का विविधीकरण कर सकें।

8. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जिस ओर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है,वह है वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती हुई मांग। जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाएंगी और उनकी प्रकृति वैश्विक होगी, बड़े स्तर के ऋण हेतु उनकी मांग में भी उसी प्रकार बढ़ोतरी होगी। इसलिए बैंकों को भी अपने आकार में वृद्धि करनी होगी ताकि वे ऋण की उच्चर मांग को पूरा कर सकें। बैंकिंग प्रणाली को अपनी क्षमता में इज़ाफ़ा करना होगा ताकि वे बड़ी कंपनियों को बृहत्तर परियोजनाओं के लिए ऋण दे सकें। ऋण तक ज्यादा पहुंच बनने और जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ने पर, पीएसबी, जिनके पास 70 प्रतिशत से अधिक की बाजार भागीदारी है, के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान दें। सरकारी क्षेत्र के मजबूत बैंकों, जो कार्यक्षम, प्रतिस्पर्द्धी और पर्याप्त रूप से पूंजीयुक्त हो, के बिना बैंक ऋण की बढ़ती हुई उच्चतर मांग को भविष्य में पूरा करना एक चुनौती होगी।

9. बड़े एक्सपोज़र के संबंध में हाल के मानदंड, जो किसी एक समूह में बैंकों के एक्सपोज़र को उनकी सामान्य ईक्विटी के 25 प्रतिशत तक रखने की सीमा लगाते हैं, वे बड़ी क्रेडिट मांग को पूरा करने की उनकी क्षमता को और अधिक प्रभावित करेंगे। अतः, यह अनिवार्य हो गया है कि पीएसबी के बीच कुछ एकीकरण हो ताकि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि संबंधी संभावना को सहायता प्रदान की जा सके।

10. संकट के बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियामकीय मानदंडों में उल्लेखनीय कठोरता आई है। जैसा कि, पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) की आवश्यकता है ताकि अन्य बैंकों की तुलना में सामान्य ईक्विटी पूंजी की उच्चतर राशि को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड भी जी-एसआईबी के लिए संपूर्ण हानि वहन क्षमता (टीएलएसी) को बनाने पर सहमत हो गया है। बासल-III ढांचे में निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ ही टीएलएसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी-एसआईबी आवश्यक होंगे। विशेषतया, उनके लिए आवश्यक होगा कि 01 जनवरी 2019 से वे समाधान चाहने वाले समूह की जोखिम भारित आस्तियों (न्यूनतम टीएलएसी आरडब्ल्यूए) का कम से कम 16 प्रतिशत और 01 जनवरी 2022 से कम से कम 22 प्रतिशत टीएलएसी रखें। इन विनियामकीय अपेक्षाओं ने अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय कई बैंकों को अपना आकार कम करने, कुछ व्यापार और कुछ क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर किया है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के लिए यह एक अवसर है कि वे अपनी वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने, एक तैयार व्यापार और बाजार में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। यदि हमारे पास अच्छे और बड़े बैंक होते हैं तो ये इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और वैश्विक बैंक बन सकते हैं।

11. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग जगत में एकीकरण के लिए यह सही समय है।

पूर्व में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एकीकरण

12. भारत में दो प्रकार से बैंकों का एकीकरण होता है। पहला और स्पष्ट कारण है, सह-क्रियता, संवृद्धि और परिचालन में परिचालनगत कार्य-क्षमता हेतु आवश्यकता उत्पन्न होने पर बैंकों का ऐच्छिक विलय होना। हाल ही में आईएनजी वैश्य बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक का विलय इस प्रकार के एकीकरण का एक उदाहरण है। आईएनजी वैश्य बैंक की दक्षिण भारत में मज़बूत उपस्थिति थी जबकि कोटक पश्चिम और उत्तर भारत में काफी विस्तारित था। इस विलय ने एक बड़ी वित्तीय संस्था का निर्माण किया जिसकी संपूर्ण भारत में उपस्थिति हो गई। सह-क्रियता और स्पष्ट आर्थिक तर्कों के आधार पर इस प्रकार का ऐच्छिक विलय होना निजी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही सामान्य है। वर्ष 2001 में बैंक ऑफ मदुरा और वर्ष 2007 में सांगली बैंक का आईसीआईसीआई द्वारा किया गया अधिग्रहण, 2008 में एचडीएफसी बैंक द्वारा सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब का अधिग्रहण आदि इस प्रकार के अन्य उदाहरण हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए के तहत रिज़र्व बैंक को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह इस प्रकार के ऐच्छिक विलय को मंजूरी प्रदान कर सके। रिज़र्व बैंक, बैंकों के ऐच्छिक विलयनों; जिनमें उन बैंकों के मूल्यवर्द्धन के लिए संभावनाएं निहित हों; के लिए काफी उदार रहा है। तथापि, इस प्रकार के उदाहरण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वातावरण में इस प्रकार के शायद ही कोई उदाहरण हों। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में हुए विलय को देखा जाए तो वास्तव में यह समूह की कंपनियों के बीच हुआ विलय था। दो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय का केवल एक ही उदाहरण है, न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नैशनल बैंक में 1993 में विलय। लेकिन, यह स्वैच्छिक विलय नहीं था।

13. बैंकों के अन्य प्रकार के विलय कमज़ोर बैंकों के संकल्प को ध्यान में रखकर किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 भारतीय रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी बैंक का दूसरे बैंक के साथ समामेलन के बारे में योजना तैयार करे यदि ऐसा किया जाना जमाकर्ताओं के हित में तथा समस्त बैंकिंग प्रणाली के हित में हो। कमज़ोर बैंक के कार्यों को कुछ समय के लिए ऋण स्थगन की स्थिति में रखा जाता है ताकि योजना को सहजता से लागू किया जा सके। इस पद्धति के अंतर्गत कई निजी बैंकों का अन्य निजी बैंकों में या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है। इस प्रकार के विलय का उदाहरण 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स में विलय किया जाना था। पूर्व में उन्नीस सौ साठ के दशक में पोस्ट पलाई सेंट्रल बैंक के फेल हो जाने पर इस प्रकार के अनेक विलय रिज़र्व बैंक द्वारा किए हए थे।

14. सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से अब तक बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 32 विलय/समामेलन किए जा चुके हैं। 1999 से पहले अधिकांश विलय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के अंतर्गत कमज़ोर बैंकों द्वारा लिए गए संकल्प को ध्यान में रखकर किए गए थे। लेकिन, 1999 के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से विलय किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसाकि ऊपर नोट किया गया है, धारा 44ए के अधिकंश विलय निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस प्रवृत्ति को अनदेखा कर दिया बावजूद इस तथ्य के कि रणनीति बनाकर किए जाने वाले विलय से तथा दो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिग्रहण से मूल्य सृजन का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है।

कतिपय चेतावनी

15. यह बताने के बाद कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकन पर विचार किया जाना फायदेमंद रहेगा, मैं इसके बारे में कतिपय चेतावनी भी देना चाहूंगा।

16. ऐसा नहीं है कि बड़ा आकार सदैव बैंकिंग प्रणाली तथा समस्त अर्थव्यवस्था के लिए फायदे मंद होता है। किसी आकार का फायदा उसके अपेक्षित स्तर तक के आकार तक ही देखा जाता है। इस अपेक्षित स्तर से बड़े आकार का परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक हो सकता है। अत्यधिक बड़े आकार के बैंकों का अस्तित्व में बने रहने से नैतिक खतरा पैदा हो सकता है जिसके लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बहुत बड़े बैंक के फेल हो जाने से उसका प्रणालीगत प्रभाव पड़ता है इसलिए यह माना गया है कि दबाव के समय में बड़े बैंकों की ज़मानत लेनी पड़ती है। सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा यह दृष्टिकोण पैदा करती है कि इतने बड़े हैं कि फेल नहीं हो सकते, और इससे उनकी साख बढ़ती

है तथा उन्हें बहुत अधिक निधीयन का फायदा मिलता है। सरकार से मिलने वाली इस अनपेक्षित सब्सिडी का ये बैंक मज़ा उठाते हैं जो उन्हें और बड़े आकार का बनने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे वे अधिक लीवरेज लेते हैं और बाज़ार की जोखिमपूर्ण गतिविधियों में लग जाते हैं। हाल के वित्तीय संकट के दौरान यह पाया गया था कि बड़े बैंकों (जिन्हें इतना बड़ा माना गया था कि वे फेल नहीं हो सकते) द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को केवल उन्हीं विशिष्ट विनियमों द्वारा दूर किया जा सकता था जो केवल इन्हीं बैंकों के लिए बनाए गए हैं। संकट के बाद विनियामकीय सुधार का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बड़े बैंकों को ध्यान में रखकर विशिष्ट विनियामकीय अपेक्षाएं तैयार की गई थीं।

17. पिछले कुछ वर्षों से सरकारी क्षेत्र के बैंक समूह का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा नहीं रहा है। अनर्जक आस्तियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। भारी मात्रा में अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि यदि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समेकन किया जाए तो वे मौजूदा चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे। यहां पर बुनियादी तर्क यह है कि काफी बैंकों को पूंजी अच्छी तरह प्रदान कर दी गई है, और वे बड़े उधार देने एवं भारी एनपीए को नियंत्रित करने में अधिक महारत रख सकेंगे एवं मुश्किल समय में अपेक्षाकृत आसानी से बाहर निकल सकेंगे।

18. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दो बैंकों के विलय को कुछेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अल्पकालिक समस्याएं दूर करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विलय करना तभी फायदेमंद होगा जब दोनों बैंकों द्वारा रणनीतिगत विज़न अपनाया जाए तथा दोनों बैंकों के लिए सहक्रिया के तौर पर मूल्य सृजित करने के उद्देश्य से विलय किया जाए। कमज़ोर बैंक का मज़बूत बैंक के साथ विलय कई बार संयुक्त संस्था को कमज़ोर बना देता है यदि विलय प्रक्रिया को ठीक तरह से नहीं संपन्न किया जाता है। जल्दबाज़ी में या मेकैनिकल विलय प्रक्रिया अपनाने से पूंजी की कमी तथा अधिक एनपीए मज़बूत बैंक को अंतरित हो जाएंगे। समेकन प्रक्रिया को महज एक बड़ा बैंक बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जहां इस बात पर सहमति बनी है कि भारत में वर्तमान बैंकिंग ढांचे को देखते हुए कुछेक बड़े आकार के बैक बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बहुत ही सुनियोजित एवं सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

समेकन के लिए सुझाई गई प्रक्रिया

19. आदर्श स्थिति यह है कि इस प्रक्रिया को प्रत्येक बैंक के बोर्डों द्वारा स्वयं प्रारंभ करना चाहिए। एनसी-1 ने भी कहा है कि विलय या अधिग्रहण के माध्यम से की जाने वाली पुनर्रचना या बैंकों की संख्या कम करने का कदम बाज़ार की ज़रूरतों तथा लाभप्रदता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा उसमें बैंक के अधिकारियों एवं स्टाफ की मर्जी तथा उनका समर्थन प्राप्त हो। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह कार्य स्वैच्छिक आधार पर किया जाए ताकि इसमें ऊपर से नीचे तक किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

20. लेकिन, जैसाकि ऊपर बताया गया, अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया है कि दो सरकारी क्षेत्र के बैंक स्वैच्छिक रूप से एक-दूसरे के पास आए हों और विलय की योजना बना लिया हो, हालांकि इस प्रकार के उदाहरण निजी क्षेत्र के बैंकों में काफी मिल जाएंगे। इसलिए प्रश्न यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समेकन कार्य कैसे किया जाए जब वे स्वयं स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। केवल एक ही रास्ता हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सबसे बड़े शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार द्वारा यह कार्य आगे बढ़ाया जाए। जैसाकि माननीय वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में यह कहा था कि इस बारे में एक रोडमैप शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। इस दिशा में एक कदम यह हो सकता है कि एक समिति गठित की जाए जो प्रत्येक बैंक के कारोबार का, उनकी भावी कारोबारी योजनाओं का अच्छी तरह जायज़ा ले और समेकन के अवसरों का पता लगाने की कोशिश करे कि उनकी कारोबारी रणनीति कितनी मज़बूत है तथा संबंधित बैंकों के कार्यों में सहक्रिया की क्या स्थिति है। सहक्रिया के क्षेत्रों की पहचान भलीभांति की जानी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ही कारोबारी व्यवहार्यता, संस्कृति, तिजोरी तथा आईटी एवं उनकी स्थापना किस स्थान पर है और वह कितना फायदेमंद है, का ध्यान रखना जरूरी है। समिति,प्रत्येक बैंक के बोर्ड से उनकी अनंतिम योजना के बारे में बात कर सकती है और यह समझने का प्रयास करे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। इसके अलावा, हितधारकों जैसे जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों आदि के हितों को भी संतुलित तरीके से देखा जाना चाहिए। शायद, हाल ही में गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो इस दिशा में परामर्शी भूमिका अदा कर सकता है।

21. यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक सूचीबद्ध होते हैं और उनके शेयर अनेक निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के पास होते हैं और इन छोटे शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। विलय या अधिग्रहण की कोई भी योजना बोर्ड के माध्यम से शुरू की जानी चाहिए जिसमें प्रारंभ से ही सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

22. इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का आपस में विलय होने से कुछ स्थानों पर स्पर्धा कम हो सकती है या कुछ भागों में काफी बढ़ सकती है और बैंकों तथा गैर-बैंकों के दरम्यान प्रतिस्पर्धा की स्थिति बदल सकती है। जैसाकि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की एचएचआई लगभग 518 है जो बहुत ही कम है, इसलिए उनके समेकन की गुंजाइश बनती है। लेकिन जैसे ही एचएचआई अंक 1800 के स्तर के निकट पहुंचते हैं स्पर्धा प्राधिकरी सामान्यतया स्पर्धा के मामले के प्रति चौकन्ने हो जाते हैं। इसलिए, स्पर्धा तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित पहलुओं का समेकन के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की जरूरत है।

23. दो संस्थाओं के विलय पर कार्यान्वयन संबंधी काफी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं भले ही उनका कारोबार सुदृढ़ हो और सिनर्जी अच्छी हो। दो अलग-अलग संगठनों की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को एकसाथ लाना आसान काम नहीं है। विरासती मामले, पुरानी शाखाओं को बंद करने, मानव संसाधन का पुनः नियोजन तथा विलय के बाद पूंजी का कुशल आबंटन ये सब निर्णय लेना आसान काम नहीं है। इस प्रक्रिया में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को भी पर्याप्त रूप से विचार में लिया जाना होगा।

समेकन, विलय से आगे की बात है

24. प्रायः हम यह समझते हैं कि समेकन का मतलब विलय या अधिग्रहण होता है। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। अन्य प्रकार के समेकन भी होते हैं जैसे कारोबार का समेकन। यह समेकन संस्थाओं के समेकन से अलग है। इस प्रकार के समेकन के अंतर्गत बैंक यह तय करता है कि उसे किस प्रकार के कारोबार में बने रहना है और कुछ प्रकार के कारोबार को अपना लेता या छोड़ देता है। एक बैंक को ऐसा क्यों तय करना पड़ता है? जैसाकि मैंने पहले कहा है उस प्रकार की परिस्थितियों में नए विनियामकीय संरचना के प्रति क्या प्रतिक्रिया हो तथा उसके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। टीएलएसी की अपेक्षा, डाड-फ्रैंक अधिनियम का अनुपालन, विकर्स कमीशन सुधार, लिंकनेन ग्रुप सुधार-कार्यक्रम आदि ने अमरीका, यूके तथा यूरोपियन यूनियन को पुनः सोचने तथा अपने कारोबार को पुनः व्यवस्थित करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा यह मानना हे कि यह भी एक प्रकार का समेकन है।

25. हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक इनमें से कोई पत्ता चुन सकते हैं और यह परीक्षण कर सकते हैं कि क्या उनमें से हर कोई युनिवर्सल बैंक बनना चाहेगा या हर एक अपने-अपने कार्यक्षेत्र या कारोबारी क्षेत्र में अलग पहचान बनाकर कार्य करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जिनकी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित अच्छी है, मज़बूत हैं तथा उस क्षेत्र में उनके विशेषज्ञता है। ये सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे वित्त बैंक के रूप में बने रहने के बारे में सोच सकते हें। इस प्रकार वे पूंजी को बनाए रख सकते हैं और अत्यधिक जटिल एवं विशिष्ट कार्पोरेट एवं परियोजना के वित्तपोषण के कारोबार में अपनी ऊर्जा नष्ट करने से बच सकते हैं।

26. इसी प्रकार, कुछ अन्य प्रकार के सरकारी क्षेत्र के बैंक भी हैं जो प्राथमिक रूप से जमा स्वीकार करने का कारोबार करते हैं और उनकी ऋण बहियों में केवल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने की अपेक्षाओं का पालन करना पड़ता है। वे यहां तक आभास कराते हैं कि इस प्राकर की ऋण बही उन्होंने बड़ी अनिच्छा से बनाई है। बेहतर हो कि ये बैंक भुगतान बैंक बन जाएं और उन गतिविधियों को पूर्णरूपेण तरीके से करें तथा अपने हितधारकों के लिए मूल्यवान बन जाएं।

27. इसी प्रकार, कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अवसर हो सकता है कि वे थोक/इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बन जाएं, जिनके बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल के अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में अपना इरादा ज़ाहिर किया था कि आने वाले समय में इस प्रकार के विभेदीकृत बैंक हो सकते हैं।

28. विभेदीकृत बैंक होने का फायदा यह है कि उसकी पूंजी अलग रखी जा सकती हे और उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक अपनी प्रमुख शक्ति को फोकस करके उस ओर लगा सकते हैं।

समापन

29. मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समेकन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। समेकन से क्षमता बढ़ेगी तथा परिचालनों में सिनर्जी पैदा होगी और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी मांग को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन समेकन बहुत ही नपे-तुले अंदाज़ में मज़बूत आर्थिक तर्क के आधार पर होना चाहिए, न कि जल्दबाज़ी में ऊपर से लिए गए निर्णय जो नीचे की ओर डाल दिए जाते हैं जिनमें बिजनेस माडल की सहक्रिया के प्रति पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जाता है और न ही कारोबारी संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी के प्लेटफार्म के प्रति उसकी उपयुक्तता होती है और विलय होने वाले बैंक ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते। और अंतिम बात यह है कि समेकन का मतलब यह नहीं होता है कि केवल बैंकों का विलय कर दिया जाए बल्कि समेकन का अर्थ यह भी होता कि जिन कारोबार का चयन किया गया है केवल उन्हीं पर फोकस किया जाए।

30. ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।